न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–77 / 2012

रामाशिष राय वगैरह.....वादीगण

बनाम

राम पुकार राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

03.08.22 अभिलेख आज प्रार्थी आवेदकगणों की ओर से दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश1 नियम 10 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–30.05.2022 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–18.07.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी आवेदकगणों ने यह निवेदन किया है कि उनके पिता जी स्वर्गीय शिवचन्द्र राय प्रस्तुत वाद में वादी सं0–2 थे जो दिनांक–03.01.2021 को स्वर्गवासी हो गए। प्रस्तुत वाद की जानकारी उन्हें नहीं थी। अतः जानकारी पश्चात् यह आवेदन दाखिल करते हुए उन्होंने वादी सं0–3 का नाम विलोपित करते हुए उन्हें बतौर वादीगण जोड़े जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन न तो सत्यापित है, ना ही शपथ–पत्र से युक्त है और आवेदन समय–सीमा से बाधित है। अतः खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि स्वर्गीय शिवचन्द्र राय प्रस्तुत वाद में वादी सं0–3 के रूप में सम्मिलित हैं जिनकी मृत्यु के संबंध में प्रतिवादी का कोई विरोध नहीं है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशानुसार यह आवेदन समय–सीमा के भीतर शपथ–पत्र से युक्त एवं सत्यापन सहित है। प्रार्थीगण वाद के आवश्यक पक्षकार हैं और उनकी उपस्थिति उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक है। तद्नुसार उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है एवं कार्यालय को दिर्नेश दिया जाता है कि वे वादपत्र में वादी सं0–3 का नाम विलोपित करते हुए आवेदनांकित उपरोक्त प्रार्थीगणों का नाम समायोजित करें।

वाद दिनांक–31.08.22 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी